



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 310]
No. 310]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 19, 1983/श्रावण 28, 1905
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 19, 1983/SRAVANA 28, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1983

सा०का०मि० 659 (अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेशी मुद्रा विनियमन नियम, 1974 का और सशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा विनियमन (सशोधन) नियम, 1983 है।

(2) ये 1 अक्टूबर, 1983 को प्रवृत्त होंगे।

2. विदेशी मुद्रा विनियमन नियम, 1974 में—

(1) पहली अनुसूची में, प्ररूप सी एन एक्स में, “निर्यातकों के लिए टिप्पण” शीर्षक के अधीन “आर०जी० 1/ई/पीपी/पी वी पी-सी ओ डी प्ररूप” अक्षरों, अंकों और शब्द के स्थान पर “जी आर 1/पी पी/बी पी-सी ओ डी प्ररूप” अक्षर, अंक और शब्द रखे जाएंगे।

(2) दूसरी अनुसूची में—

(क) भाग क में, “जी०आर० 1, जी०आर० एक्स, ई पी-पी पी, वी पी सी/ओ डी प्ररूप” अक्षरों और शब्द के स्थान पर “जी०आर० पी० पी० और बी० पी/सी०ओ०डी० प्ररूप, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

(ख) भाग ख में, (1) मद 1 के स्तम्भ में “प्ररूप जी आर 1” शब्द, अक्षरों और अंक के स्थान पर “प्ररूप जी०आर०” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे और स्तम्भ 2 में “पाकिस्तान और अफगानिस्तान” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) मद 2 और 3 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा तथा मद 4 और 5 जो मद 2 और 3 के त्व में पुनःसंख्याकित किया जाएगा।

(iii) जी आर 1, ई०पी०पी०पी० जी आर एक्स और वी पी/सी ओ डी प्ररूपों के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे अर्थात् जी आर पी पी और बीपी/सी ओ डी।

प्रारूप सं०

प्रारूप : जी आर

विदेशी मुद्रा नियंत्रण
(निर्यातकर्ता की घोषणा)
मूल प्रति

(कृपया पृष्ठ के पीछे "निर्यातकर्ताओं के लिए टिप्पण" देखें)

1. पोतलदान का पत्ता सीमा शुल्क सं०
2. निर्यातकर्ता का नाम 3. निर्यातकर्ता का संकेत सं०
4. जेता/माल पाने वाले का नाम और पता 5. माल का गंतव्य देश
6. स्टोयर का नाम/वायुयान सं०
7. सविदा का स्वरूप * (i) लागत, बीमा और भाड़ा/(ii) लागत और भाड़ा/(iii) पोतपर्यस्त निःशुल्क/(iv) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
8. पोतलदान की तारीख
9. पोतलदान का प्रकार * (i) पूर्ण विक्रय/(ii) परेषण निर्यात/ (iii) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
10. लागत का विवरण
11. माल का परिमाण : इकाई†† परिमाण 12. भोजक की करेंसी
13. पोतपरिषहृत बिज सं० और तारीख
- [†† टन/किलोग्राम/लिटर/क्यूबिक मीटर/वर्ग मीटर/मीटर/संख्या/अन्य (विनिर्दिष्ट करें)]

14. निर्यात मूल्य का विश्लेषण

@ जहाँ पूरा निर्यात मूल्य अभिविधित नहीं किया जा सकता है, वहाँ यह मूल्य लिखें, जो विदेशी मंडी में माल के विक्रय पर प्राप्त होने की आशा है।

† अधिकरण कमीशन और/या बट्टे मद्दे घोषित मूल्य के प्रेषण/कटौती के लिए अनुज्ञा के लिए कोई भी आवेदन पत्र रिजर्व बैंक द्वारा लब्ध तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक उक्त बातें इस प्रारूप में घोषित नहीं की जाती।

(सीमा शुल्क कार्यालय के प्रयोग के लिए)

निर्यात मूल्य का स्थापन किया गया

सीमा शुल्क मूल्य निरूपक

विवरण	करेंसी	रकम
@ पूरा निर्यात मूल्य		
पोतपर्यस्त निःशुल्क मूल्य		
भाड़ा		
बीमा		
† बट्टा (वर)		
† अधिकरण कमीशन (दर)		
† अन्य कटौतियां (विनिर्दिष्ट करें) (वर)		

15. सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा अभिविधित किया जाने वाला मूल्य (रूपये)

16. यदि निर्यात* (i) आरुभगत प्रत्यय ठहराव/(ii) संयुक्त उद्यमों/(iii) रुपया प्रत्यय करार के अधीन किया गया है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन, परिपत्र सं० और तारीख
17. यदि निर्यात प्रत्यय पत्र की व्यवस्थाओं के अधीन है तो सूचना देने वाले भारत में के बैंक का नाम
18. क्या संदाय एशियाई संसाधन यूनियन के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा, लिखें : * हाँ/नहीं
19. उस बैंक का नाम और पता जिसके माध्यम से संदाय प्राप्त किया जाएगा

(रिजर्व बैंक के प्रयोग के लिए)

मैं/हम यह घोषणा करता/करते हैं कि मैं/हम उस माल का/के *विक्रेता/परेषक हूँ/हैं जिसके संबंध में यह घोषणा की जाती है और ऊपर शिरो अंगे विवरण सही है और कि * (क) नेता के साफ सविबोधित मूल्य ऊपर घोषित किये गये पूरे निर्यात मूल्य के बराबर है और कि * (ख) माल का पूरा निर्यातक मूल्य निर्यात करते समय, अभिलिखित नहीं किया जा सकता और कि घोषित मूल्य वह है जो मैं/हम संचो की वर्तमान स्थितियों को देखते हुए विश्वास मश से माल के विन्य पर धारण करने की आशा करता/करते हैं।

मैं/हम यह वचनबद्ध करना हूँ/करते हैं कि मैं/हम माल के पूरे निर्यात मूल्य के बराबर विदेशी मुद्रा * * * * को या उससे पढ़ा विदेशी मुद्रा विनियमन विन्य, 1971 के नियम 9 में विहित पद्धति के अनुसार अगर नामित बैंक को परिवस करूँगा/करेंगे। मैं/हम यह भी घोषित करता/करते हैं कि मैं/हम भारत का/का निवास हूँ/हैं और भारत में मेरा/हमारा कारोबार का स्थान है।

मैं/हम भारतीय रिजर्व बैंक की सतर्कता सूची में *नहीं हूँ/हैं।

*जो लागू न हो उसे घाट दें। निर्यातक की अनुमति है/है तारीख का उत्पन्न करें
जो पोतलदान की तारीख से यथास्थिति 6 घण्टा/
3 मास के भीतर हो

(निर्यातकर्ता के हस्ताक्षर)

तारीख-----

पता-----

निर्यातकर्ताओं के लिए टिप्पण

- (1) नेपाल और भूटान को छोड़कर भारत से बाहर के सभी देशों पर जी आर प्रक्रिया लागू होती है।
- (2) सभी मामलों में जी आर फार्म दो प्रतियों में भरा जाना चाहिए और दोनों प्रतियां माल भेजने के लिए आवश्यक अनुशा के लिए सीमा शुल्क कार्यालय को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- (3) सीमा शुल्क प्राधिकारी दूसरी प्रति को सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित करके निर्यातकर्ता को लौटा देगा जिससे कि निर्यातकर्ता उसे विदेशी मुद्रा उस प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करेगा जिसके माध्यम से भेजे गए माल के लिए सदाय प्राप्त किया जाता है।
- (4) भारत से निर्यात किए जाने वाले माल के संबंधित सभी वस्तायेज भारत में विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से माल के भेजे जाने की तारीख से 21 दिन के भीतर भेजे जाने चाहिए।
- (5) अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सिवाय सभी देशों की निर्यात किए गए माल के पूरे मूल्य की एक पोतलदान की तारीख से छ मास के भीतर वसूल कर ली जानी चाहिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की निर्यात की वशा में पूरे निर्यात मूल्य की वसूली पोतलदान की तारीख से तन माम के भीतर कर ली जानी चाहिए।
- (6) यदि कोई निर्यातकर्ता इस प्रण पर घोषित माल निर्यात न करने का निश्चय करता है तो उसे सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा हस्ताक्षरित किन्तु संबंधित अप्रयुक्त पोतलदान बिल की दूसरी प्रति जी आर प्रण की अप्रयुक्त दूसरी प्रति के साथ भारतीय रिजर्व बैंक को अत्रेपित करने के लिए सीमा शुल्क कार्यालय में जमा करनी चाहिए।
- (7) ऐसे परिवर्तनों के अधीन रहते हुए जो समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं, विभिन्न देशों के निर्यात के लिए सदाय प्राप्त करने के लिए विहित वर्तमान पद्धतियां निम्नलिखित हैं।

1. वास्तव-समूह (द्विपक्षीय खाता समूह के अधीन सूचीबद्ध देशों से निम्न देश)

(क) इस समूह के किसी भी देश में स्थित बैंक के खाते से रूपों में सदाय।

(ख) निम्नलिखित किसी भी 'अनुज्ञान' करेसी में सदाय

ऑस्ट्रेलियाई डालर	डेनिस फ्रान्क	जापानी येन	पोड स्टर्लिंग
ऑस्ट्रियाई शिल्लिंग	ड्यूश मार्क	बुवैसी दिनार	मियापुर डालर
बहरीन दिनार	फ्रांसीसी फ्रांक	मनेशियाई डालर	स्वीडिश क्रोनर
बेल्जियम फ्रांक	हांगकॉंग डालर	नीदरलैंड गिल्डर	स्विस फ्रांक
कनेडियन डालर	इटालियन लिरे	नार्वेजियन क्रोनर	अमेरिकी डालर

(ग) किसी भी अन्य विदेशों करेसी में सदाय परन्तु यह तब जबकि प्राधिकृत व्यापारी यह प्रमाणित करता है कि--

- (1) जिस करेसी में सदाय प्राप्त किया जाता है/किया जाएगा, वह ऊपर (ख) में सूचीबद्ध की गई किसी भी अनुज्ञान करेसी में निर्बाध रूप से संपरिवर्तनीय है और
- (11) ऊपर "ख" में सूचीबद्ध किसी भी अनुज्ञान करेसी में व्यापार करने के लिए सक्रिय बाजार है।

2. द्विपक्षीय खाता समूह देश (चेकोस्लोवाकिया, जर्मन जनबादी गणतन्त्र (पूर्व जर्मनी), पोलैंड, रमानिया और सोवियत रुस) संबंधित देश में स्थित बैंक के खाते में से रूपों में सदाय

टिप्पण भारत सरकार/भारतीय वित्तीय संस्थाएं दूसरे देशों के साथ समय-समय पर व्यापार करार कर सकती हैं, जिनमें उन देशों को विनिश्चित पद्धति से कतिपय सदाय करने या एक सरकार से दूसरी सरकार को प्राप्त प्रत्यय से विसपोषित किये जाने वाले निर्यातों के लिए उपबन्ध हो। रिजर्व बैंक प्राधिकृत व्यापारियों को परिपत्रों द्वारा ऐसे ठहरावों की सूचना देगा। ऐसे मामलों में अलग-अलग ठहरावों में सदाय की विनिश्चित पद्धतियों का पालन करना होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोग के लिए स्थान

प्रश्न सं०

प्रश्न जी आर

विदेशी मुद्रा नियंत्रण
(निर्यातकर्ता की घोषणा)
दूसरी प्रति ..

1. पोतलवान का पत्तन सीमा शुल्क सं०
2. निर्यातकर्ता का नाम : 3. निर्यातकर्ता का सकल सं०
4. क्रेता/माल पाने वाले का नाम और पता
5. माल का गंतव्य देश
6. स्टीमर का नाम/वायुयान सं०
7. सविया का स्वरूप* (i) लागत, बीमा और भाड़ा/(ii) लागत और भाड़ा/(iii) पोतपर्यन्त नि शुल्क/(iv) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
8. पोतलवान की तारीख 9. पोतलवान का प्रकार* (i) पूर्ण विक्रय/(ii) परेषण नियति/(iii) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
10. माल का विवरण
11. माल का परिमाण . इकाई†† परिमाण 12. बीजक की करेंसी
- [†† टन/किलोग्राम/लिटर/क्यूबिक मीटर/वर्ग मीटर/सक्या/अन्य (विनिर्दिष्ट करें)]
13. पोतपरिवहन बिल सं० और तारीख

14. निर्यात मूल्य का विवरण

@जहाँ पूरा निर्यात मूल्य अभिविज्ञित नहीं किया जा सकता है, वहाँ यह मूल्य लिखें, जो विदेशी मंडी में माल के विक्रय पर प्राप्त होने की आशा है।

अभिकरण कमीशन और/या भट्टे मद्धे घोषित मूल्य के प्रेषण/कटौती के लिए अनुज्ञा के लिए कोई भी आवेदन पत्र रिजर्व बैंक द्वारा तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक उक्त बातें इस प्रारूप में घोषित नहीं की जाती।

(सीमाशुल्क कार्यालय के प्रयोग के लिए)
निर्यात मूल्य का संस्थापन किया गया सीमा शुल्क मूल्य निरूपक)

विवरण	करेंसी	रकम	यदि कम माल भेजा गया हो तो वास्तव में भेजे गये माल का व्योरा
@पूरा निर्यात मूल्य			
पोतपर्यन्त नि.शुल्क मूल्य			
भाड़ा			
बीमा			
†भट्टा (दर)			
†अभिकरण कमीशन (दर)			
†अन्य कटौतियाँ (विनिर्दिष्ट करें) (दर)			

15. सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा अभिविज्ञित किया जाने वाला मूल्य (रुपय)

16. यदि निर्यात * (i) आस्थगित प्रत्यय ठहराव/(ii) सयुक्त उद्यमो/(iii) रुपया प्रत्यय करार के अधीन किया गया है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन/परिपत्र सं० और तारीख
17. यदि निर्यात प्रत्यय पत्र की व्यवस्थाओं के अधीन है तो सूचना देने वाले भारत में के बैंक का नाम
18. क्या सहाय एगिवाई समायोधन यूनियन के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा, लिखें: *हां/नहीं
19. उस बैंक का नाम और पता जिसके माध्यम से सहाय प्राप्त किया जाएगा

(रिजर्व बैंक के प्रयोग के लिए)

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम उस माल का/के * विवेका/परेषक हूँ/हैं जिसके संबंध में यह घोषणा की जाती है और ऊपर दिए गए विवरण सही है और कि * (क) केला के साथ संबंधित मूल्य ऊपर घोषित किए गए पूरे निर्यात मूल्य के बराबर है और कि * (ख) माल का पूरा निर्यात मूल्य निर्यात करते समय, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता और कि घोषित मूल्य यह है जो मैं/हम मंडी की वर्तमान स्थितियों को देखते हुए विदेशी मंडी में माल के विक्रय पर प्राप्त करने की आशा करता हूँ/करते हैं।

मैं/हम यह वचनबद्ध करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम माल के पूरे निर्यात मूल्य के बराबर विदेशी मुद्रा—-----को या उससे पहले विदेशी मुद्रा अभिव्यक्ति नियम, 1974 के नियम 9 में विहित पद्धति के अनुसार ऊपर नामित बैंक को पेश कर दूँगा/करेगी। मैं/हम यही घोषित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम भारत का/के निवासी हूँ/हैं और भारत में मेरा/हमारा कारोबार का स्थान है।

मैं/हम भारतीय रिजर्व बैंक की सतर्कता सूची में*

नहीं हूँ/हैं

हूँ/हैं

* जो लागू न हो उसे काट दें। परिधान की अनुमानित तारीख का उल्लेख करें जो पोतलदान की तारीख से यथाभ्यास 6 मास/3 मास के भीतर हो।

(सीमा-शुल्क कार्यालय के प्रयोग के लिए)
पूर्णतः/अंशतः भेजने के लिए पाम किया गया स्थोरा
(परिमाण विनिर्दिष्ट करें)
(प्राधिकृत सीमा-शुल्क अधिकारी)
तारीख

(निर्यातकर्ता के हस्ताक्षर)

तारीख

पता

टिप्पण — भारत से निर्यात किए गए जाने वाले माल से संबंधित सभी दस्तावेज भारत में विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से माल के भेजे जाने की तारीख से 21 दिन के भीतर भेजे जाने चाहिए।

प्राधिकृत व्यापारी के प्रयोग के लिए

एक समान सकेत सं०

* (1) परक्रमण/(11) वसूली के लिए प्राप्ति की तारीख

बिल सं०

बिल का प्रकार * (1) डी ए/(11) डी पी/(111) अन्य

पोतलदान का प्रकार * (1) पक्की विक्रय सविदा/(11) परेषण के आधार पर/(111) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

जो आर प्ररूप

की समाप्त होने वाली 10 दिन की अवधि के लिए "आर" विवरणी के साथ रिजर्व बैंक

को भेजे गए विवरण में सम्मिलित था

की भेजा गया।

* जो लागू न हो काट दें।

हम यह प्रमाणित करते हैं और गुण्ट करते हैं कि हमने इस प्ररूप पर घोषित निर्यात के आगमों के रूप में की पूरी रकम निम्न प्रकार से प्राप्त कर ली है।

(करेसी) रकम

प्राप्ति की तारीख	करेसी	नास्ट्रो खाते में जमा		बैंक के अनिवासी (रुपया) खाते में विकलन		“आर” विवरणी की अवधि, जिसमें रिजर्व बैंक को वसूली की रिपोर्ट की गई है
		(देश में)		(देश में)		
		हमारे नाम में	के नाम में	हमारे पास धारित	के पास धारित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(भारतीय प्राधिकृत व्यापारी की संबंधित शाखा का नाम लिखें।)

प्राप्ति की कोई अन्य पद्धति (विनिर्दिष्ट करें)

(प्राधिकृत व्यापारी की मुहर और हस्ताक्षर)

तारीख

पता

प्राधिकृत व्यापारियों के लिए टिप्पण

1. कृपया यह सुनिश्चित करें कि जीआर प्ररूप के मूल भाग पर दिये गये स्तम्भ नियतकर्ता द्वारा भर लिए गए हैं और जहां आवश्यक है, वहां सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किए गए हैं।
2. इस प्ररूप में घोषित पोतलवान के पूरे निर्यात मूल्य के प्राप्त होने पर प्राधिकृत व्यापारी माल भेजने वाले के बीजक की सीमा-शुल्क कार्यालय द्वारा प्रमाणित प्रति के साथ प्ररूप की यह दूसरी प्रति सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित कर रिजर्व बैंक को भेजेगा। परेषण के आधार पर भेजे गए माल के सवध में माल पाने वाले से प्राप्त विक्रय लेखा भी मूल रूप में वास्तव में वसूल किए गए जायदा के समर्थन में, इस प्ररूप के साथ भेजा जाना चाहिए।
3. यदि प्राप्त की गई शुद्ध एकम बैंक प्रभारों की कटौती से भिन्न कारणों से प्ररूप पर घोषित पूरे नियत मूल्य से कम है तो कृपया कम रकम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की सवधा और तारीख का उल्लेख करें।

भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोग के लिए स्थान

विदेशी मुद्रा नियतण

(नियतकर्ता की घोषणा)

प्ररूप पी पी

प्ररूप स०

मूल प्रति

(कृपया पृष्ठ के पीछे "नियतकर्ताओं के लिए टिप्पण" देखें)

1. (क) डाकघर का नाम
2. नियतकर्ता का नाम
4. जेता/माल पाने वाले का नाम और पता
6. माल भेजने की तारीख
7. सविदा का स्वरूप * (i) लागत, बीमा और भाड़ा/(ii) लागत और भाड़ा/(iii) पोतपर्यंत नि शुल्क/(iv) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
8. पोतलवान का प्रकार * (i) पूर्ण विक्रय/(ii) परेषण निर्यात/(iii) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
9. माल का विवरण
10. माल का परिमाण इकाई [टन/किलोग्राम/लिटर/क्यूबिक मीटर/वर्ग मीटर/संख्या/अन्य (विनिर्दिष्ट करें)]
11. बीजक की करेंसी

(रिजर्व बैंक के प्रयोग के लिए)

@जहाँ पूरा निर्यात मूल्य अभिलिखित नहीं किया जा सकता है, वहाँ वह मूल्य लिखें, जो विदेशी मुद्रा में माल के विक्रय पर प्राप्त होने की आशा है।
†अधिकरण कमीशन और/या बढ़ते मंटे घोषित मूल्य के प्रेषण/कटौती के लिए अनुज्ञा के लिए कोई भी आवेदन पत्र रिजर्व बैंक द्वारा तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा। जब तब उक्त बातें प्ररूप में घोषित नहीं की जाती।

(सीमाशुल्क कार्यालय के प्रयोग के लिए)
निर्यात मूल्य का सत्यापन किया गया
(सीमाशुल्क मूल्य निरूपक)

12. निर्यात मूल्य का विश्लेषण

विवरण	करेंसी	रकम
@पूरा निर्यात मूल्य		
पोतपर्यंत नि शुल्क मूल्य		
भाड़ा		
बट्टा		
बीमा		
†बट्टा (वर . . .)		
†अधिकरण कमीशन (वर . . .)		

13. सीमा-शुल्क कार्यालय द्वारा अभिलिखित किया जानेवाला मूल्य (रुपये)-----
14. यदि नियत भारतीय रिज़र्व बैंक का साधारण अनुज्ञा के अधीन किया गया है, तो उसका अनुमोदन संख्यांक और तारीख-----
15. यदि नियत प्रत्यय पत्र की व्यवस्थाओं के अंतर्गत है तो सूचना देने वाले भारत में के बैंक का नाम-----
16. क्या संशय एगियाई समाशोधन यूनियन के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा, लिखें : *हां/नहीं
17. उस बैंक का नाम और पता जिसके माध्यम से संशय प्राप्त किया जाएगा

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम उस माल का/के *विक्रेता/प्रेषक हूँ/हैं जिसके संबंध में यह घोषणा की जाती है और ऊपर दिए गए विवरण सही हैं और कि * (क) श्रेता के साथ संदिग्ध मूल्य ऊपर घोषित किए गए पूरे नियत मूल्य के बराबर हैं और कि * (ख) माल का पूरा नियत मूल्य नियत करने समय, अभिलिखित नहीं किया जा सकता है और कि घोषित मूल्य यह है जो मैं/हम मंडी के वृत्त स्थितियों को देखते हुए विदेशी मंडी में माल के विषय पर प्राप्त करने की आशा करता हूँ/करते हैं।

मैं/हम यह वचनबद्ध करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम माल के पूरे नियत मूल्य के बराबर विदेशी मुद्राई.....को या उससे पहले विदेशी मुद्रा विनियमन नियम, 1974 के नियम 9 में विहित पद्धति के अनुसार ऊपर नामित बैंक को परितप्त करूंगा/करेंगे। मैं/ यह भी घोषित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम भारत का/के निवासी हूँ/हैं और भारत में मेरा/हमारा कारोबार का स्थान है।

नहीं हूँ/हैं

मैं/हम भारतीय रिज़र्व बैंक की महकता सूची में*-----

हूँ/हैं

*जो लागू न हो उसे काट दें।

परिधान की अनुमानित तारीख का उल्लेख करें जो पोतलदान की तारीख से व्यास्थिति 6 मास/3 मास के भीतर हो।

(प्राधिकृत व्यापारी के प्रयोग के लिए)
प्राधिकृत व्यापारी की मुहर और हस्ताक्षर
तारीख:
बैंक का एक समान संकेत सं०

.....

(नियतकर्ता के हस्ताक्षर)

तारीख:

पता:

.....

.....

नियतकर्ताओं के लिए दिष्ट्यन

- (1) यह प्ररूप पार्सल पर न चिपकाया जाए।
- (2) पीपी प्ररूप की प्रतियां नेपाल और भूटान को छोड़कर भारत के बाहर के सभी राज्य क्षेत्रों में डाक से किये जाने वाले निर्यातों पर लागू होती है। पीपी प्ररूप सभी मामलों में दो प्रतियों में भरा जाना चाहिए।
- (3) मूल प्रति पर विदेशी मुद्रा के किसी प्राधिकृत व्यापारी के प्रति हस्ताक्षर कराने के पश्चात् नियतकर्ता को उसे डाकघर में प्रस्तुत करना चाहिए। जिस डाकघर द्वारा माल भेजा गया है वह मूल प्रति को भारतीय रिज़र्व बैंक के निकटतम कार्यालय को अग्रेषित कर देगा।
- (4) भारत से निर्यात किये जाने वाले माल से संबंधित सभी दस्तावेज भारत में विदेशी मुद्रा के किसी प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से माल के भेजे जाने की तारीख से 21 दिन के भीतर भेजे जाने चाहिए।
- (5) अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सिवाय सभी देशों को निर्यात किए गए माल के पूरे मूल्य की रकम पोतलदान की तारीख से छः मास के भीतर वसूल कर ली जानी चाहिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को निर्यात की दशा में पूरे निर्यात मूल्य की वसूली पोतलदान की तारीख से तीन मास के भीतर प्राप्त कर ली जानी चाहिए।

(6) ऐसे परिवर्तनों के अधीन रहते हुए जो समय-समय पर अधिसूचित किये जाएं विभिन्न देशों के निर्यात के लिए संदाय प्राप्त करने के लिए विहित वर्तमान पद्धतियां निम्नलिखित हैं।

1. आद्य समूह देश (द्विपक्षीय खाता समूह के अधीन सूचीबद्ध देशों से निम्न देश)

(क) इस समूह के किसी भी देश में स्थित बैंक के खाते से रुपयों में संदाय।

(ख) निम्नलिखित किसी भी 'अनुज्ञात' करेंसी में संदाय :

आस्ट्रेलियाई डालर	डेनिश क्रोनर	जापानी येन	पोंड स्टलिंग
मस्ट्रियाई शिलिंग	इयूरो मार्क	कुवैती दिनार	सिंगापुर डालर
बहरीन दिनार	फ्रांसीसी फ्रांक	मलेशियाई डालर	स्वीडिश क्रोनर
बेल्जियन फ्रांक	हांगकांग डालर	नीदरलैंड गिल्डर	स्विस फ्रांक
कनेडियन डालर	इटालियन लिरे	नार्वेजियन क्रोनर	अमरीकी डालर

(ग) किसी भी अन्य विदेशी करेंसी में संदाय परन्तु यह तब जबकि प्राधिकृत व्यापारी यह प्रमाणित करता है कि—

(i) जिस करेंसी में संदाय प्राप्त किया जाता है/किया जाएगा, वह ऊपर (ख) में सूचीबद्ध की गई किसी भी अनुज्ञात करेंसी में निर्बाध रूप से संपर्क-वर्तनीय है और (ii) ऊपर "ख" में सूचीबद्ध किसी भी अनुज्ञात करेंसी में व्यापार करने के लिए सक्रिय बाजार है।

2. द्विपक्षीय खाता समूह देश (चेकोस्लावाकिया, जर्मन जनवादी गणतंत्र (पूर्व जर्मनी) पोलैण्ड, रूमानिया और सोवियत रूस)

संबंधित देश में स्थित बैंक के खाते में से रुपयों में संदाय।

टिप्पणः—भारत सरकार/भारतीय वित्तीय संस्थाएं दूसरे देशों के साथ समय-समय पर व्यापार करार कर सकती हैं, जिनमें उन देशों को विनिर्दिष्ट पद्धति से कतिपय संदाय करने या एक सरकार से दूसरी सरकार को प्राप्त प्रत्यय से वित्तपोषित किये जानेवाले निर्यातों के लिए उपबंध हो। रिजर्व बैंक प्राधिकृत व्यापारियों को परिपत्रों द्वारा ऐसे ठहरावों की सूचना देगा। ऐसे मामलों में अलग-अलग ठहरावों में संदाय की विनिर्दिष्ट पद्धतियों का पालन करना होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोग के लिए स्थान

प्रारूप सं० :

प्रारूप : पीपी

विदेशी मुद्रा नियंत्रण

(निर्यातकर्ता की घोषणा)

दूसरी प्रति

1. (क) डाकघर का नाम
2. निर्यातकर्ता का नाम
4. क्रेता/माल पानेवाले का नाम और पता
6. माल भेजने की तारीख
7. संविदा का स्वरूप * (i) लागत, बीमा और भाड़ा/(ii) लागत और भाड़ा/(iii) पोतपर्वत निःशुल्क/(iv) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
8. पोतलवान का प्रकार * (i) पूर्ण विक्रय/(ii) परेषण निर्यात/(iii) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
9. माल का विवरण
10. माल का परिमाण : इकाई परिमाण
11. बीजक की करेंसी

(रिजर्व बैंक के प्रयोग के लिए)

[†अटन/किलोग्राम/लिटर/क्यूबिक मीटर/बर्गे मीटर/मीटर/संख्या/अन्य (विनिर्दिष्ट करें)]

12. निर्यात मूल्य का विश्लेषण :

① जहाँ पूरा निर्यात मूल्य अभिविधित नहीं किया जा सकता है वहाँ वह मूल्य लिखें, जो विदेशी मंडी में माल के विक्रय पर प्राप्त होने की आशा है।

†अधिकरण कमीशन और/या बंदे मंडे घोषित मूल्य प्रेषण/कटौती के लिए अनुज्ञा के लिए कोई भी आवेदन पत्र रिजर्व बैंक द्वारा तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक उक्त बातें प्रश्न में घोषित नहीं की जाती।

(सीमा शुल्क कार्यालय के प्रयोग के लिए)
निर्यात मूल्य का स्थापन किया गया।
सीमा-शुल्क मूल्य निरूपक

विवरण	करेंसी	रकम
① पूरा निर्यात मूल्य		
पोतपर्यंत निःशुल्क मूल्य		
भाड़ा		
बीमा		
†बंदे (वर.....)		
†अधिकरण कमीशन (वर.....)		

13. सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा अभिविधित किया जाने वाला मूल्य (रुपये)
14. यदि निर्यात भारतीय रिजर्व बैंक की साधारण अनुज्ञा के अधीन किया गया है, तो उसका अनुमोदन संख्यांक और तारीख
15. यदि निर्यात प्रत्यय पत्र की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत है तो सूचना देनेवाले भारत में के बैंक का नाम
16. क्या संवाय एगियाई समाशोधन यूनियन के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा लिखें: * हाँ/नहीं
17. उस बैंक का नाम और पता जिसके माध्यम से संवाय प्राप्त किया जाएगा

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम उस माल का/के *विक्रेता/प्रेषक हूँ/हैं जिसके संबंध में यह घोषणा की जाती है और ऊपर दिए गए विवरण सही हैं और कि *(क) केला के साथ संबिधित मूल्य ऊपर घोषित किए गए पूरे निर्यात मूल्य के बराबर है और कि *(ख) माल का पूरा निर्यात मूल्य निर्यात करते समय अभिविधित नहीं किया जा सकता है और कि घोषित मूल्य वह है जो मैं/हम मंडे की वर्तमान स्थितियों को देखते हुए विदेशी मंडी में माल के विक्रय पर प्राप्त करने की आशा करता हूँ/करते हैं।

मैं/हम यह बचनबंध करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम माल को पूरे निर्यात मूल्य के बराबर विदेशी मुद्रा को या उससे पहले विदेशी मुद्रा विनियमन नियम, 1974 के नियम 9 में विहित पद्धति के अनुसार उपर नामित बैंक को परिवर्त करूंगा/करेंगे। मैं/हम यह भी घोषित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम भारत का/के निवासी हूँ/हैं और भारत में मेरा/हमारा कारोबार का स्थान है।

नहीं हूँ/हैं

मैं/हम भारतीय रिजर्व बैंक की सतर्कता सूची में*
हूँ/हैं

*जो लागू न हो उसे काट दें। †परिधान की अनुमानित तारीख का उल्लेख करें जो पोतप्रदान की तारीख से यथास्थिति 6 मास/3 मास के भीतर हो।

(प्राधिकृत व्यापारी के प्रयोग के लिए)

प्राधिकृत व्यापारी की मुहर और हस्ताक्षर

तारीख

बैंक का एक समान संकेत सं०

(निर्यातकर्ता के हस्ताक्षर)

तारीख

पता

.....

.....

टिप्पण :—भारत से निर्यात किए जानेवाले माल से संबंधित सभी दस्तावेज भारत में विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से माल के भेजे जाने की तारीख से 21 दिन के भीतर भेजे जाने चाहिए।

प्राधिकृत व्यापारी के प्रयोग के लिए

एक समान संकेत सं०

बिल सं०

*(i) परकामण/(ii) वसूली के लिए प्राप्ति की तारीख

बिल का प्रकार* (i) डीए/ (ii) डी पी/ (iii) अन्य

पोतलदान का प्रकार* (i) पक्की बिक्रय संविदा/ (ii) परेषण आधार पर/ (iii) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

पीपी प्ररूप को समाप्त होने वाली 10 दिन की अवधि के लिए "आर" विवरणी के साथ रिजर्व बैंक को भेजे गए विवरण में सम्मिलित था को भेजा गया

*जो लागू न हो, उसे काट दें।

हम यह प्रमाणित करते हैं और पुष्ट करते हैं कि हमने इस प्ररूप पर घोषित निर्यात के आगमों के रूप में की पूरी रकम निम्न प्रकार से प्राप्त कर ली है। (करेंसी) रकम

प्राप्ति की तारीख	करेंसी	नास्ट्रो खाते में जमा		बैंक के अनिवासी रूपया खाते में विकलन		'आर' विवरणी की अवधि, जिसमें रिजर्व बैंक को वसूली की रिपोर्ट की गई है
		देश में हमारे नाम में	के नाम में	देश में हमारे पास धारित	के पास धारित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(\$भारतीय प्राधिकृत व्यापारी की संबंधित शाखा का नाम लिखें)

प्राप्ति की कोई अन्य पद्धति (विनिर्दिष्ट करें)

(प्राधिकृत व्यापारी की मुहर और हस्ताक्षर)

तारीख

पता

प्राधिकृत व्यापारियों के लिए टिप्पण :

1. कृपया यह सुनिश्चित करें कि पीपी प्ररूप के मुख भाग पर दिये गये स्तम्भ निर्यातकर्ता द्वारा भर दिए गए हैं और जहां आवश्यक है, वहां डाक प्राधिकारियों द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित किए गए हैं।

2. इस प्ररूप में घोषित पोतलदान के पूरे निर्यात मूल्य के प्राप्त होने पर प्राधिकृत व्यापारी माल भेजने वाले के बोजक की सीमाशुल्क कार्यालय द्वारा प्रमाणित प्रति के साथ प्ररूप की यह दूसरी प्रति सम्यक रूप से अधिप्रमाणित कर रिजर्व बैंक को भेजेगा परेषण के आधार पर भेजे गए माल के संबंध में माल पाने वाले से प्राप्त बिक्रय लेखा भी मूल रूप में वास्तव में वसूल किए गए आगमों के समर्थन में, इस प्ररूप के साथ भेजा जाना चाहिए।

3. यदि प्राप्त की गई शुद्ध रकम बैंक प्रभारों की कटौती से भिन्न कारणों से प्ररूप पर घोषित पूरे निर्यात मूल्य से कम है तो कृपया कम रकम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की संख्या और तारीख का उल्लेख करें।

भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोग के लिए स्थान

विदेशी मुद्रा नियंत्रण

नेपाल और भूटान को छोड़ कर भारत से बाहर
के देशों की बीपी/सीओडी के आधार पर ट्राक
द्वारा माल भेजने के पहले निर्यातकर्ता से अपेक्षित
घोषणा

प्रारूप बीपी/सीओडी

प्रारूप सं०

टिप्पण (i) यह प्रारूप पार्सेल पर न चिपकाया जाए।

(ii) यह प्रारूप उस डाकघर द्वारा जिसके माध्यम से माल भेजा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के निकटतम कार्यालय को भेजा जाना चाहिए।

पार्सेल रसीद सं० और तारीख डाक घर का नाम

1. निर्यातकर्ता का नाम
2. निर्यातकर्ता संकेत सं०
3. माल पानेवाले का नाम और पता
4. माल का गन्तव्य देश
5. बीजक की करेंसी
6. सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा अभिविहित किया जानेवाला मूल्य (रुपए)
7. माल का विवरण
8. माल का परिमाण

	टन	किलोग्राम	लिटर	क्यूबिक मीटर	वर्ग मीटर	मीटर	संख्या	अन्य (कृपया विनि- र्दिष्ट करें)
	1	2	3	4	5	6	7	8
(क) परिमाण की हकाई (कृपया उपयुक्त हकाई पर चिह्न लगाए)								
(ख) परिमाण								

9. निर्यात मूल्य का विश्लेषण

विवरण	करेंसी	रकम
पूरा निर्यात मूल्य		
*बट्टा (वर.....)		
*अधिकरण कमीशन (वर.....)		

(कमीशन और/या बट्टे मद्धे घोषित मूल्य के प्रेषण/कटौती के लिए अनुज्ञा के लिए कोई भी आवेदन पत्र पर रिजर्व बैंक द्वारा तब तक ग्राहक नहीं किया जाएगा जब तक उक्त बातें इस प्रारूप में घोषित नहीं की जातीं)

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम इस माल को/के धकेता हूँ/हैं जिसके संबंध में यह घोषणा की जाती है और ऊपर दिए गए विवरण सही है और कि केना के साथ संबिदाकृत मूल्य ऊपर घोषित किए गए पूरे निर्यात मूल्य के बराबर है

मैं/हम यह भी घोषित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम भारत का/के निवासी हूँ/हैं और भारत में मेरा/हमारा कारोबार का स्थान है।

मैं/हम भारतीय रिजर्व बैंक की सतकर्ता सूची में* नहीं हूँ/हैं

*जो उपयुक्त हो वह भरें।

(आकषर के प्रयोग के लिए)
हस्ताक्षर -----
आकषर की मुहर
तारीख -----

(निर्यातकर्ता के हस्ताक्षर)

तारीख -----

पता -----

भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोग के लिए स्थान

[संख्या 1 / 1 / ई सी / 83]

पी० एल० सरकाराल, उप सचिव

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना सं० सा० का० नि० 80 तारीख 1 जनवरी 1974 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा० का० नि० संख्या 683 तारीख 23 मई, 1976 द्वारा उनका संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 1983

G.S.R. 659 (E).—In exercise of the powers conferred by section 79 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Foreign Exchange Regulation Rules, 1974, namely:—

1. (1) These rules may be called the Foreign Exchange Regulation (Amendment) Rules, 1983;
- (2) They shall come into force on the 1st October, 1983.
2. In the Foreign Exchange Regulation Rules, 1974:—
 - (1) in the First Schedule, in Form CNX, under the heading "Note to the exporter", for the letters, figure and word "RG. 1/EP/PP/VP—COD forms" the letters, figure and word "GR/PP/VP—COD forms" shall be substituted;
 - (2) in the Second Schedule—
 - (a) In Part A, for the letters and word "G.R.I., G.R.X., E.P., P.P., V.P./C.O.D. Forms" the letters and word "G.R., P.P. and V.P./C.O.D. Forms" shall be substituted;
 - (b) In Part B—(i) against item 1, in column 1, for the word, letters and figure "Form GR 1", the word and letters "Form GR" shall be substituted and in column 2, the words "Pakistan and Afghanistan" shall be omitted;
 - (ii) items 2 and 3 and the entries relating thereto shall be omitted and items 4 and 5 shall be re-numbered as items 2 and 3 respectively.
 - (iii) for Forms GR 1, E.P., P.P., G.R.X. and VP/COD the following Forms shall be substituted, namely:—

FORM : GR

EXCHANGE CONTROL
(EXPORTER'S DECLARATION)

ORIGINAL

Form Number:

(Please see 'Notes to Exporters' overleaf)

1. Port of shipment.....

Customs Number:

2. Exporter's Name : 3. Exporter's Code Number :

4. Buyer's/Consignee's Name and Address:	(for RBI use)
..... 5. Country of destination	
6. Name of Steamer/Aircraft Number	
7. Nature of Contract*(i) CIF/(ii) C&F/(iii) FOB/ (iv) Others (Specify)	
8. Date of shipment	
9. Type of shipment*(i) Outright sale/(ii) Consignment export/(iii) Others (Specify) :	
10. Description of goods	
11. Quantity of goods : Unit	
Quantity	
12. Currency of Invoice	
[Tonne/Kilogram/Litre/Cubic Metre/Sq. Metre/Metre/Number/Others (Specify)]	
13. Shipping Bill No. and Date:	

14. Analysis of Export Value

@ Where the full export value is not ascertainable, value expected on sale of goods in the overseas market may be shown.

† No application for permission for remittance/deduction from the declared value on account of agency commission and/or discount will be entertained by the Reserve Bank unless there have been declared on this form.

(For Customs Use)
Export value verified
Customs Appraiser

Particulars	Currency	Amount	
@ Full Export value			
F.O.B. Value			
Freight			
Insurance			
† Discount (Rate.....)			
† Agency Commission (Rate.....)			
† Other Deductions (Specify)..... (Rate.....)			

15. Customs Assessable Value (Rupees)

16. If the export is made under*(i) Deferred Credit Arrangement/(ii) Joint Ventures/ (iii) Rupee Credit Agreement, R.B.I.'s approval/Circular No. & Date	
17. If the export is made under L/C arrangements, name of advising bank in India	
18. State if the payment is to be received through the Asian Clearing Union *Yes/No	
19. Name and address of bank through whom payment is to be received	

I/We hereby declare that I/We am/are the* SELLER/CONSIGNOR of the goods in respect of which the declaration is made and that the particulars given above are true and that *(a) the value as contracted with the buyer is the same as the full export value declared above/ *(b) the full export value of goods is not ascertainable at the time of export and that the value declared is that which I/We, having regard to the prevailing market conditions, expect to receive on the sale of goods in the overseas market.

I/We undertake that I/We will deliver to the bank named above the foreign exchange representing the full export value of the goods on or before in the manner prescribed in Rule 9 of the Foreign Exchange Regulation Rules, 1974. I/We further declare that I/We am/are resident in India and I/We have a place of business in India.

I/We*^{am/are not} in the Caution List of the Reserve Bank of India.
^{am/are}

†State approximate date of delivery which must be within 6 months/3 months of the date of shipment as the case may be.

*Strike out whichever is not applicable.

.....
 (Signature of Exporter)
 Date
 Address

NOTES TO EXPORTERS

- (1) The GR form procedure applies to exports to all countries outside India excluding Nepal and Bhutan.
- (2) In all cases, the GR form must be completed in duplicate and both copies should be submitted to Customs for obtaining the necessary permission to ship the goods.
- (3) The Customs authorities will return the duplicate to the exporter duly authenticated for submission to the Reserve Bank through an authorised dealer in foreign exchange through whom the payment for the shipment is to be received.
- (4) All documents relating to export of goods from India must be passed through the medium of an authorised dealer in foreign exchange in India within 21 days of the date of shipment of the goods.
- (5) The amount representing the full value of goods exported must be realised within six months from the date of shipment in case of exports to all countries except Afghanistan and Pakistan. In case of exports to Afghanistan and Pakistan, the full export value must be realised within three months from the date of shipment.
- (6) In case an exporter decides not to export the goods declared on this form, he should submit the relative Customs signed unutilised duplicate shipping bill together with the unutilised duplicate copy of GR form to the Customs or being forwarded to the Reserve Bank of India.
- (7) Subject to such changes as may be notified from time to time, the following are the methods currently prescribed for receiving payments for exports to different countries :

1. External Group Countries

(Other than the countries listed under Bilateral Group)

- (a) Payment in rupees from the account of a bank situate in any country in this Group.
- (b) Payment in any of the following 'Permitted' currencies :

Australian Dollars	Danish Kroners	Japanese Yen	Pounds Sterling
Austrian Schillings	Deutsche Marks	Kuwaiti Dinars	Singapore Dollars
Bahrain Dinars	French Francs	Malaysian Dollars	Swedish Kroners
Belgian Francs	Hongkong Dollars	Netherlands Guilders	Swiss Francs
Canadian Dollars	Italian Lire	Norwegian Kroners	US Dollars
- (c) Payment in any other foreign currency, provided an authorised dealer certifies that :
 - (i) the currency in which payment is received/to be received is freely convertible into any of the permitted currencies listed in (b) above, and (ii) a fairly active market exists for dealings in the currency against any of the permitted currencies listed in (b) above.

2. Bilateral Group of Countries

[Czechoslovakia, German Democratic Republic (East Germany), Poland, Romania and USSR.]

Payment in rupees from the account of a bank situate in the country concerned.

Note: Government of India/Indian financial institutions may conclude from time to time Special Trade Agreements with other countries providing for settlement of certain payments from the countries in a specified manner or for exports to be financed from Government to Government credits. Reserve Bank will advise authorised dealers of such arrangements by issue of circulars. Methods of payment specified in the individual arrangements will have to be followed in such cases.

SPACE FOR USE BY RESERVE BANK OF INDIA

EXCHANGE CONTROL
(EXPORTER'S DECLARATION)
DUPLICATE

FORM : GR

FORM NUMBER :

1. Port of shipment Customs Number
2. Exporter's Name: 3. Exporter's Code Number :
4. Buyer's/Consignee's Name and address :
..... 5. Country of destination
6. Name of Steamer/Aircraft Number 7. Nature of Contract*(i) CIF/(ii) C&F/(iii) FOB/
(iv) Others (Specify)
8. Date of shipment
9. Type of shipment*(i) Outright sale/(ii) Consignment export/(iii) Others (Specify)
10. Description of goods
11. Quantity of goods: Unit Quantity 12. Currency of Invoice
- [Tonne/Kilogram/Litre/Cubic Metre/Sq. Metre/Metre/Number/Others (Specify)] 13. Shipping Bill No. and Date:

(For RBI use)

14. Analysis of export value

@ Where the full export value is not ascertainable, value expected on sale of goods in the overseas market may be shown.

† No application for permission for remittance/deduction from the declared value on account of agency commission and/or discount will be entertained by the Reserve Bank unless these have been declared on this form.

Particulars	Currency	Amount	If short shipped, details of goods actually shipped
@ Full Export value			
F.O.B. Value			
Freight			
Insurance			
† Discount (Rate.....)			
† Agency Commission (Rate.....)			
† Other Deductions (Specify.....) (Rate.....)			

(For Customs Use)

Export value verified

Customs Appraiser

15.—Customs Assessable Value (Rupees)

16. If the export is made under *(i) Deferred Credit arrangement/(ii) Joint Ventures/
(iii) Rupees Credit Agreement, R.B.I.'s approval/Circular No. & Date
17. If the export is made under L/C arrangements, name of advising bank in India
18. State if the payment is to be received through the Asian Clearing Union *Yes/No
19. Name and address of bank through whom payment to be received

I/We hereby declare that I/We am/are the* SELLER/CONSIGNOR of the goods in respect of which the declaration is made and that the particulars given above are true and that *(a) the value as contracted with the buyer is the same as the full export value declared above/*(b) the full export value of goods is not ascertainable at the time of export and that the value declared is that which I/We, having regard to the prevailing market conditions, expect to receive on the sale of goods in the overseas market.

I/We undertake that I/We will deliver to the bank named above the foreign exchange representing the full export value of the goods on or before††.....in the manner prescribed in Rule 9 of the Foreign Exchange regulation Rules, 1974. I/We further declare that I/We am/are resident in India and I/We have a place of business in India.

I/We*
am/are not
am/are
in the Caution List of the Reserve Bank of India.

††State approximate date of delivery which must be within 6 months/3 months of the date of shipment as the case may be.

*Strike out whichever is not applicable.

(For Customs Use) Cargo Passed or shipment in full/part Quantity.....specify. (Authorised Customs Official) Date
--

.....
(Signature of Exporter)

Date :

Address

.....
.....

NOTE: All documents relating to export of goods from India must be passed through the medium of an authorised dealer in foreign exchange in India within 21 days of the date of shipment of the goods.

FOR AUTHORISED DEALER'S USE

Uniform Code Number.

Date of *(i) Negotiation/(ii) receipt for collection.....Bill No.....

Type of bill *(i) DA/(ii) DP (iii) Others.....

Type of shipment: *(i) Firm Sale Contract/(ii) Consignment Basis/(iii) others (Specify).....

The GR form was included in the Statement sent to the Reserve Bank with the R—Return for the 10 day period ending.....sent on

We certify and confirm that we have received the total amount of as under being the proceeds of exports declared on this form. (Currency) amount

Date of receipt	Currency	Credit to Nostro Account in (country)		Debit to NR Rupee Account of a bank in (country)		Period of R—Return with which the realisation has been reported to RBI
		In our name	In the name of‡	Held with us	Held with‡	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(‡Write the name of the concerned Indian Authorised Dealer branch)

Any other manner of receipt (Specify).....

(Stamp & Signature of authroised dealer)

Date :

Address :

Notes to Authorised Dealer:

1. Please ensure that the columns on the face of the GR form have been completed by the exporter and that they have been duly authenticated by the Customs authorities wherever necessary.
2. On receipt of the full export value of the shipment declared on this form, the authorised dealer will forward to the Reserve Bank this duplicate copy of the form together with a copy of the Customs certified Shipper's Invoice, duly certified. In respect of shipments made on consignment basis, the Account Sales received from the consignee in original in support of the proceeds actually realised should also be forwarded along with this copy of the Form.
3. In case the net amount received falls short of the full export value declared on the form for reasons other than deduction of bank charges, please indicate the Reserve Bank of India's approval number and date for reduction.

SPACE FOR USE BY RESERVE BANK OF INDIA**FORM : PP**

EXCHANGE CONTROL
(EXPORTER'S DECLARATION)
ORIGINAL

Form Number :*(Please see 'Notes to Exporters' Overleaf)*

- 1(a) Name of the Post Office 1(b) Number and date of Parcel Receipt.....
2. Exporter's Name : 3. Exporter's Code Number.....
4. Buyer's/Consignee's Name and address : 5. Country of destination
6. Nature of contract*(i)CIF/(ii)C&F/(iii)FOB/(iv) Others (Specify).....
7. Date of despatch.....
8. Type of shipment* (i) Outright Sale /(ii) Consignment export/(iii) Others (Specify).....
9. Description of goods :.....
10. Quantity of goods : Unit** Quantity : 11. Currency of Invoice :
- [*Tonne/Kilogram/Litre/Cubic Metre/Sq. Metre/Metre/Number/Others (Specify)]

*(for RBI use)***12. Analysis of export value :**

@Where the full export value is not ascertainable, value expected on sale of goods in the overseas market may be above.

† No application for permission for remittance/deduction from the declared value on account of agency commission and/or discount will be entertained by the Reserve Bank unless these have been declared on this form.

(For Customs Use)
Export Value verified
(Customs Appraiser)

Particulars	Currency	Amount
@ Full export value		
F.O.B. Value		
Freight		
Insurance		
†Discount (Rate.....)		
†Agency Commission (Rate.....)		

13. Customs Assessable Value (Rupees)	
14. If the export is made under general permission of the Reserve Bank of India, Number and date of its approval	
15. If the export is made under L/C arrangements, name of advising bank in India	
16. State if the payment is to be received through the Asian Clearing Union : *Yes/No	
17. Name and address of bank through whom payment is to be received	

I/We hereby declare that I/We am/are the "SELLER/CONSIGNOR of the goods in respect of which the declaration is made and that the particulars given above are true and that *(a) the export value as contracted with the buyer is the same as the full export value declared above/ *(b) the full export value of goods is not ascertainable at the time of export and that the value declared is that which I/We, having regard to the prevailing market conditions, expect to receive on the sale of goods in the overseas market.

I/We undertake that I/We will deliver to the bank named above the foreign exchange representing the full export value of the goods on or before ‡.....in the manner prescribed in Rule 9 of the Foreign Exchange Regulation Rules, 1974. I/We further declare that I/We am/are resident in India and I/We have a place of business in India.

am/are not

I/We* ———— in the Caution List of the Reserve Bank of India.

am/are

‡ State approximate date of delivery which must be within 6 months/3 months of the date of shipment as the case may be.

*Strike out whichever is not Applicable.

(For A.D.'s Use)

Stamp & Signature of Authorised dealer
Date :
Bank's Uniform Code No.

(Signature of Exporter)
Date
Address

NOTES TO EXPORTERS

- (1) This form should not be pasted on the Parcel.
- (2) The PP form procedure applies to postal exports to all territories outside India excluding Nepal and Bhutan. The PP form should be completed in duplicate in all cases.
- (3) The Original should be submitted by the exporter to the Post Office after having it countersigned by an authorised dealer in foreign exchange. The Post Office through which the goods have been dispatched will forward the Original to the nearest office of Reserve Bank of India.
- (4) All documents relating to export of goods from India must be passed through the medium of an authorised dealer in foreign exchange in India within 21 days of the date of shipment of the goods.
- (5) The amount representing the full value of goods exported must be realised within six months from the date of shipment in case of exports to all countries except Afghanistan and Pakistan. In case of exports to Afghanistan and Pakistan, the full export value must be realised within three months from the date of shipment.
- (6) Subject to such changes as may be notified from time to time, the following are the methods currently prescribed for receiving payments for exports to different countries.

1. External Group Countries

(Other than the countries listed under Bilateral Group)

- (a) Payment in rupees from the account of a bank situated in any country in this Group.
- (b) Payment in any of the following 'Permitted' currencies :

Australian Dollars
Austrian Schillings
Bahrain Dinars
Belgian Francs
Canadian Dollars

Danish Kroners
Deutsche Marks
French Francs
Hongkong Dollars
Italian Lire

Japanese Yen
Kuwaiti Dinars
Malaysian Dollars
Netherlands Guilders
Norwegian Kroners

Pounds Sterling
Singapore Dollars
Swedish Kroners
Swiss Francs
U.S. Dollars

(c) Payment in any other foreign currency provided an authorised dealer certifies that :

- (i) the currency in which payment is received/to be received is freely convertible into any of the permitted currencies listed in (b) above and (ii) a fairly active market exists for dealings in the currency against any of the permitted currencies listed in (b) above.

2. Bilateral Group of Countries

[Czechoslovakia, German Democratic Republic (East Germany), Poland, Romania and USSR]

Payment in rupees from the account of a bank situate in the country concerned.

Note : Government of India/Indian financial institutions may conclude from time to time Special Trade Agreements with other countries providing for settlement of certain payments from the countries in a specified manner or for exports to be financed from Government to Government credits. Reserve Bank will advise authorised dealers of such arrangements by issue of circulars. Methods of payment specified in the individual arrangements will have to be followed in such cases.

SPACE FOR USE BY RESERVE BANK OF INDIA

EXCHANGE CONTROL (EXPORTERS DECLARATION) DUPLICATE

FORM : PP

Form Number :

- 1(a) Name of the Post Office 1(b) Number and date of Parcel Receipt
 2. Exporter's Name : 3. Exporter's Code Number
 4. Buyer's /Consignee's Name and address: (for RB use)
 5. Country of destination
 6. Nature of contract*(i) CIF/(ii) C&F /(iii) FOB/(iv) Others (Specify)
 7. Date of despatch
 8. Type of shipment* (i) Outright Sale/(ii) Consignment export/(iii) Others (Specify)
 9. Description of goods :
 10. Quantity of goods : Unit** Quantity 11. Currency of Invoice :
 (**Tonne/Kilogram/Litre/Cubic Metre/Sq. Metre/Metre/
 Number/Others (Specify))

12. Analysis of export value :

@Where the full export value is not ascertainable, value expected on sale of goods in the overseas market may be shown.

†No application for permission for remittance/deduction from the declared value on account of agency commission and/or discount will be entertained by the Reserve Bank unless these have been declared on this form.

Particulars	Currency	Amount
@Full export value		
F.O.B. Value		
Freight		
Insurance		
†Discount (Rate.....)		
†Agency Commission (Rate.....)		

(For Customs Use)
Export Value verified
(Customs Appraiser)

13. Customs Assessable Value (Rupees)

14. If the export is made under general permission of the Reserve Bank of India, Number and date of its approval

15. If the export is made under L/C arrangements, name of advising bank in India

16. State if the payment is to be received through the Asian Clearing Union . *Yes/No

Name and address of bank through whom payment is to be received

17.

I/We hereby declare that I/We am/are the *SELLER/CONSIGNOR of the goods in respect of which the declaration is made and that the particulars given above are true and that *(a) the export value as contracted with the buyer is the same as the full export value declared above/*(b) the full export value of goods is not ascertainable at the time of export and that the value declared is that which I/We, having regard to the prevailing market conditions, expect to receive on the sale of goods in the overseas market

I/We undertake that I/We will deliver to the bank named above the foreign exchange representing the full export value of the goods on or before ‡ in the manner prescribed in Rule 9 of the Foreign Exchange Regulation Rules, 1974 I/We further declare that I/We am/are resident in India and I/We have a place of business in India.

I/We*—
am/are not
am/are
in the Caution List of the Reserve Bank of India

‡State approximate date of delivery which must be within 6 months/3 months of the date of shipment as the case may be

*Strike Out Whichever is Not Applicable.

(For A.D's Use)

Stamp & Signature of Authorised dealer
Date :
Bank's Uniform Code No

(Signature of Exporter)
Date
Address

NOTE : All documents relating to export of goods from India must be passed through the medium of an authorised dealer in foreign exchange in India within 21 days of the date of shipments of the goods.

FOR AUTHORISED DEALERS USE

Uniform Code Number

Date of *(i) negotiation/(ii) receipt for collection. Bill No.

*Strike out
whichever is
not applicable

Type of bill *(i) DA/(ii) DP/(iii) Others

Type of shipment : *(i) Firm Sale/Contract/(ii) Consignment Basis/(iii) Others (Specify)

The PP form was included in the Statement sent to the Reserve Bank with the R—Return for the 10 days period ending net on

We certify and confirm that we have received the total amount of as under being the proceeds of exports declared on this form. (Currency) amount

Date of receipt	Currency	Credit to Nostro Account		Debit to NR Rupee Account		Period of R—Return with which the realisation has been reported to RBI
		in _____ (country)		of a bank in _____ (country)		
		In our name	In the name of ‡ _____ _____	Held with us	Held with ‡ _____ _____	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(‡Write the name of the concerned Indian Authorised Dealer branch)

Any other manner of receipt (Specify)

(Stamp & Signature of authorised dealer)

Date

Address

Notes to Authorised Dealer :

1. Please ensure that the columns on the face of the PP form have been completed by the exporter and that they have been duly authenticated by the Postal authorities wherever necessary.
2. On receipt of the full export value of the shipment declared on this form, the authorised dealer will forward to the Reserve Bank this duplicate copy of the form together with a copy of the Customs certified Shipper's Invoice, duly certified. In respect of shipments made on co-shipment basis, the Account Sales received from the consignee in original in support of the proceeds actually realised should also be forwarded along with this copy of the Form.
3. In case the net amount received falls short of the full export value declared on the form for reasons other than deduction of bank charges, please indicate the Reserve Bank of India's approval number and date for reduction.

SPACE FOR USE BY RESERVE BANK OF INDIA**EXCHANGE CONTROL**

Declaration required from exporter before sending goods by post on VP/COD basis to countries outside India other than Nepal and Bhutan

Form VP/COD

Serial No.....

Notes: (i) This form should not be pasted on the parcel

(ii) This form should be forwarded to the nearest office of the Reserve Bank of India by the Post Office through which the goods have been dispatched.

Parcel Receipt No. and date..... Name of the Post office.....

1. Exporter's name.....
2. Exporter's Code No.....
3. Name and address of consignee.....
4. Country of destination.....
5. Currency of invoice.....
6. Customs assessable value (Rupees).....
7. Description of goods.....

8. Quantiv of goods	Tonne	Kg.	Litre	Cubic Metre	Sq. Metre	Metre	Number	Others (Please specify)
	1	2	3	4	5	6	7	8
(a) Unit of measure (Please tick the appropriate unit)								
(b) Quantity								

9. Analysis of export value.

Particulars	Currency	Amount
Full export value		
*Discount (Rate)		
*Agency Commission (Rate)		

(No application for permission for remittance/deduction from the declared value on account of commission and/or discount will be considered by the Reserve Bank unless these have been declared on this form)

I/We hereby declare that I/we am/are the seller of the goods in respect of which this declaration is made and that the particulars given above are true and that the value as contracted with the buyer is the same as the full export value declared above.

I/We further declare that I/we am/are resident in India and I/we have a place of business in India.

I/We am/are not in the Caution List of the Reserve Bank of India

*am/are

Complete whichever is appropriate

(For use of Post Office)

Signature.....

Post Office Stamp

Date.....

(Signature of exporter)

Date.....

Address.....

SPACE FOR USE OF RESERVE BANK OF INDIA

[No. 1/1/EC/83]

P.L. SAKARWAL, Dy. Secy.

Note :The principal rules were published vide Notification No. GSR 80, dated 1st January, 1974 subsequently amended by GSR No. 663 dated 23rd May, 1975.